

अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 – DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original 26912,25,00	26912,38,00	24781,75,78	-2130,62,22
पूरक	Supplementary 13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1642,06,75
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted -			
मूल	Original 1989,08,00	1989,13,00	1072,96,92	-916,16,08
पूरक	Supplementary 5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			765,21,50

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य	Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits			
मू.	O. 60400.00	84540.00	83793.16	-746.84
पु.	R. 24140.00			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O. 726079.00	741745.26	712986.82	-28758.44
पू.	S. 6.00			
पु.	R. 15660.26			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare			
मू.	O. 1117963.00			
पू.	S. 4.00	1075552.95	1064730.37	-10822.58
पु.	R. -42414.05			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 235600.00			
पू.	S. 2.00	2.00	..	-2.00
पु.	R. -235600.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 530760.00			
पु.	R. 76411.76	607171.76	598993.39	-8178.37
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O. 7063.00			
पू.	S. 1.00	3795.28	3613.02	-182.26
पु.	R. -3268.72			
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री और उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments			
मू.	O. 8160.00			
पू.	S. 809.00	8969.00	8888.83	-80.17

(I) ₹247227.00 लाख का प्रावधान (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बासठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹246751.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2210” - “लोक स्वास्थ्य” -

(क) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - स्वास्थ्य बीमा” - ₹1500.00 लाख स्कीम को अनुमोदित किए जाने में प्रशासनिक विलंब होने के कारण थे।

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - स्वास्थ्य बीमा” - ₹1000.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) “अन्य व्यय” -

(i) “आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवियन फ्लू)” - ₹2200.00 लाख चिकित्सा आपातकाल घटना न होने के कारण थे।

(ii) “स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)” - ₹6500.00 लाख स्कीम शुरू न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(क) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन” -

(i) “क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय” - ₹332.00 लाख;

(ii) “राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - ₹4250.00 लाख;

(ख) “परिवार कल्याण-प्रशिक्षण” -

(i) “ए एन एम/एलएचवी का प्रशिक्षण” - ₹1000.00 लाख;

(ii) “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र” - ₹240.00 लाख;

(iii) “एमपीडब्ल्यू (पुरुष) प्रशिक्षण” - ₹160.00 लाख;

(I) Provision of ₹247227.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011) remained wholly unutilized under sixty two heads; of these ₹246751.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2210” - “Public Health” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Health Insurance” - ₹1500.00 lakhs - due to administrative delay in approval of the scheme.

(b) “Tribal Area Sub Plan - Health Insurance” - ₹1000.00 lakhs - due to non- receipt of proposals from implementing agencies.

(c) “Other Expenditure” -

(i) “Emergency Medical Relief (Avian Flu)” - ₹2200.00 lakhs - due to non-occurrence of medical emergency.

(ii) “Health Insurance (Urban Health Mission)” - ₹6500.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme.

(B) Major Head “2552” -

(a) “FW - Direction and Administration” -

(i) “Regional Health Offices” - ₹332.00 lakhs;

(ii) “Maintenance of State/Distt. FW Bureau” - ₹4250.00 lakhs;

(b) “FW - Training” -

(i) “Training of ANM/LHVs” - ₹1000.00 lakhs;

(ii) “Health and FW Training Centres” - ₹240.00 lakhs;

(iii) “Training of MPWs (Male)” - ₹160.00 lakhs;

- | | |
|---|---|
| (ग) “परिवार कल्याण - अनुसंधान एवं मूल्यांकन - जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान” - ₹125.00 लाख; | (c) “FW - Research and Evaluation - Demographic and Other Communication Research”- ₹125.00 lakhs; |
| (घ) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केंद्र” - ₹32500.00 लाख; | (d) “FW - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres” – ₹32500.00 lakhs; |
| (ङ) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र” - ₹1200.00 लाख; | (e) “FW - Urban Family Welfare Services - Urban Family Welfare Centres” - ₹1200.00 lakhs; |
| (च) “परिवार कल्याण - जन शिक्षा” - | (f) “FW – Mass Education” – |
| (i) “सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच” - ₹1858.00 लाख; और | (i) “Information, Education and Communication - RCH” - ₹1858.00 lakhs; and |
| (ii) “पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार” - ₹110.00 लाख। | (ii) “Information, Education and Communication on PNDDT Act”- ₹110.00 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|--|---|
| (iii) “सूचना, शिक्षा और संचार - गैर आरसीएच” - ₹220.00 लाख पूर्वोक्त राज्यों में कम अवशोषक क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण थे। | (iii) “Information, Education and Communication - Non-RCH” - ₹220.00 lakhs - due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States. |
| (छ) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य” - | (g) “FW – Reproductive and Child Health” – |
| (i) “राज्य पी आई पी के लिए आर सी एच लचीला पूल” - ₹49500.00 लाख; | (i) “RCH Flexible Pool for State PIPs” – ₹49500.00 lakhs; |
| (ii) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)” - ₹1600.00 लाख; | (ii) “Pulse Polio Immunisation Programme (Operating Cost)” – ₹1600.00 lakhs; |
| (iii) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति” - ₹3000.00 लाख; | (iii) “Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme” – ₹3000.00 lakhs; |
| (iv) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति” - ₹1104.00 लाख; | (iv) “Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme” – ₹1104.00 lakhs; |

- (v) “वैक्सीन आदि को छोड़कर औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति” - ₹2500.00 लाख; और
- (ज) “परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां” -
- (i) “राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार कल्याण सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - ₹500.00 लाख।
- (v) “Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccines etc.” – ₹2500.00 lakhs; and
- (h) “FW – Other Services and Supplies” -
- (i) “Free Supply of FP Material to States/UTs” – ₹500.00 lakhs.
- प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
- (ii) “गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन” - ₹550.00 लाख पूर्वोत्तर राज्यों में कम अवशोषक क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण थे।
- (ii) “Social Marketing of Contraceptives” – ₹550.00 lakhs - due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.
- (झ) “परिवार कल्याण - अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल” - ₹61950.00 लाख;
- (ज) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना” - ₹600.00 लाख;
- (ट) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” -
- (i) “इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग” - ₹13001.00 लाख (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (ii) “राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2500.00 लाख;
- (iii) “क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल” - ₹15501.00 लाख (नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;
- (iv) “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलाई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर” - ₹5500.00 लाख;
- (i) “FW – Other Expenditure - Mission Flexible Pool” – ₹61950.00 lakhs;
- (j) “Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals” – ₹600.00 lakhs;
- (k) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” -
- (i) “North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong” – ₹13001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011);
- (ii) “National Cancer Control Programme” – ₹2500.00 lakhs;
- (iii) “Regional Institute of Medical Sciences, Imphal” – ₹15501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011);
- (iv) “Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur” – ₹5500.00 lakhs;

- | | |
|--|--|
| (v) “क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, आईजोल” - ₹3200.00 लाख; | (v) “Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal” – ₹3200.00 lakhs; |
| (ठ) “लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - नर्सिंग सेवाओं का विकास” - ₹600.00 लाख; | (l) “Public Health – Training – Development of Nursing Services” – ₹600.00 lakhs; |
| (ड) “लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण” - | (m) “Public Health – Prevention and Control of Diseases” – |
| (i) “राष्ट्रीय बैक्टीर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹9000.00 लाख; | (i) “National Vector Borne Disease Control Programme” – ₹9000.00 lakhs; |
| (ii) “राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹450.00 लाख; | (ii) “National Leprosy Control Programme” – ₹450.00 lakhs; |
| (iii) “राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2000.00 लाख; | (iii) “National T.B. Control Programme” – ₹2000.00 lakhs; |
| (iv) “राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2900.00 लाख; | (iv) “National Blindness and Trachoma Control Programme” – ₹2900.00 lakhs; |
| (v) “राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹300.00 लाख; | (v) “National IDD Control Programme” – ₹300.00 lakhs; |
| (vi) “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” - ₹2000.00 लाख; | (vi) “National Mental Health Programme” – ₹2000.00 lakhs; |
| (vii) “राष्ट्रीय औषध अवव्यसन नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹200.00 लाख; और | (vii) “National Drugs De-addiction Control Programme” - ₹200.00 lakhs; and |
| (ध) “लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय” - | (n) “Public Health – Other Expenditure” - |
| (i) “राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम” - ₹800.00 लाख। | (i) “National Integrated Diseases Surveillance Programme” – ₹800.00 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्षित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above sixteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|--|--|
| (ii) “अभिघात केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता” - ₹1200.00 लाख; | (ii) “Assistance for Capacity Building for Trauma Centres” – ₹1200.00 lakhs; |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| (iii) “स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन” - ₹500.00 लाख; | (iii) “Health Sector Disaster Preparedness and Management” – ₹500.00 lakhs; |
| (iv) “तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल” - ₹800.00 लाख; | (iv) “Tobacco Free Initiatives” – ₹800.00 lakhs; |
| (v) “राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2000.00 लाख; | (v) “National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and stroke” – ₹2000.00 lakhs; |
| (vi) “जिला अस्पताल” - ₹4000.00 लाख; | (vi) “District Hospitals” – ₹4000.00 lakhs; |
| (vii) “स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन” - ₹3800.00 लाख; | (vii) “Human Resources for Health” – ₹3800.00 lakhs; |
| (viii) “स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)” - ₹1000.00 लाख; और | (viii) “Health Insurance (Urban Health Mission)” - ₹1000.00 lakhs; and |
| (ix) “राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम” - ₹1000.00 लाख। | (ix) “National Programme for Health Care for the Elderly” – ₹1000.00 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में कम अवशोषक क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.

(II) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head “2210” – savings occurred under the following heads: -

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी” -

(A) “Urban Health Services - Allopathy” –

(क) “निदेशन और प्रशासन” -

(a) “Direction and Administration” –

(i) “स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय” - ₹752.11 लाख की बचत (₹4335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(i) “Directorate General of Health Services” - saving of ₹752.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4335.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ii) “राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय” - ₹132.20 लाख की बचत (₹2882.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) “National Medical Library” – saving of ₹132.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2882.00 lakhs);

(ख) “चिकित्सा भंडार संगठन - डिपो” - ₹540.82 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Medical Stores Organization - Depots” – saving of ₹540.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs); and

(ग) “अस्पताल और औषधालय - कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹207.20 लाख की बचत (₹5008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और लघु निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) “अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद” - ₹362.99 लाख की बचत (₹8600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों की अधिप्राप्ति के लिए विक्रेता बिलों का समाशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” -

(क) “एलोपैथी” -

(i) “कैंसर अनुसंधान” - ₹4524.88 लाख की बचत (₹14100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी निकायों की निधीयन पद्धति में बदलाव किए जाने के कारण हुई।

(ii) “अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान” - ₹1197.84 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान” - ₹1401.00 लाख की बचत (नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹47001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आधुनिकीकरण का कार्य शुरू न किए जाने की वजह से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iv) “क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, पुदुचेरी” - ₹1242.00 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए

(c) “Hospitals and Dispensaries - Kalawati Saran Children’s Hospital, New Delhi” - saving of ₹207.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5008.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards minor works.

(d) “Other Expenditure - Purchase of Materials in India and abroad” - saving of ₹362.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8600.00 lakhs) was due to non-settlement of vendors bills towards procurement of supplies.

(B) “Medical Education, Training and Research”-

(a) “Allopathy”-

(i) “Cancer Research” - saving of ₹4524.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14100.00 lakhs) was due to change in funding pattern to grantee bodies.

(ii) “Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore” - saving of ₹1197.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and requirement of less funds towards recurring and non-recurring expenses.

(iii) “Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh” - saving of ₹1401.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011) was due to requirement of less funds towards acquiring assets owing to non-commencement of work of modernisation by Central Public Works Department.

(iv) “Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research,

- गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (v) “कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा को सेवाग्राम में चिकित्सा कालेज के लिए अनुदान” - ₹500.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (vi) “वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली” - ₹466.29 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने की वजह से निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (vii) “डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली” - ₹544.27 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।
- (viii) “एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन” - ₹1364.70 लाख की बचत (₹5594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यक्तियों को काम पर रखे जाने और परामर्श शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और चरण-II के अंतर्गत 6 चिकित्सा कालेजों का उन्नयन करने के लिए एचएलएल/ लाइफ केयर लिमिटेड/अस्पताल सेवा परामर्श निगम के साथ अनुबंध/करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - कैंसर अनुसंधान” - ₹2214.77 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- Puducherry”- saving of ₹1242.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to slow progress in implementation of work.
- (v) “Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram” - saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the Institute.
- (vi) “Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi” - saving of ₹466.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-finalisation of works owing to slow progress in implementation of work by Central Public Works Department.
- (vii) “Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi” – saving of ₹544.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards minor work and non-procurement of equipments.
- (viii) “Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals” - saving of ₹1364.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5594.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards engagement of manpower and consultancy fees and non-finalisation of contract/ agreement with HLL Lifecare Limited/ Hospital Services Consultancy Corporation (I) Limited regarding upgradation of 6 medical colleges under phase-II.
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Cancer Research” - saving of ₹2214.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कैंसर अनुसंधान” - ₹610.64 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (गा) “लोक स्वास्थ्य” -

- (क) “निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना” - ₹504.77 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (ख) “प्रशिक्षण” -

- (i) “केंद्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू” - ₹159.33 लाख की बचत (₹930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) “क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर” - ₹112.68 लाख की बचत (₹410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

- (iii) “नर्सिंग सेवाओं का विकास” - ₹803.42 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ग) “रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” -

- (i) “राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली” - ₹1148.47 लाख की बचत (₹3970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹1114.16 लाख की बचत (₹52010.00 लाख के

- (c) “Tribal Area Sub Plan - Cancer Research” - saving of ₹610.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals.

- (C) “Public Health” -

- (a) “Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Organisation” - saving of ₹504.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs);

- (b) “Training” -

- (i) “Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu” - saving of ₹159.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹930.00 lakhs); and
- (ii) “Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur” - saving of ₹112.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹410.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

- (iii) “Development of Nursing Services” - saving of ₹803.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

- (c) “Prevention and Control of Diseases” -

- (i) “National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi” - saving of ₹1148.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3970.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (ii) “National Vector Borne Disease Control Programme” - saving of ₹1114.16 lakhs

- स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)टिकाऊ कीटनाशक जालियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।
- (iii) “आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम” - ₹2363.02 लाख की बचत (₹4060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और अधिप्राप्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (iv) “रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2701.15 लाख की बचत (₹19300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (v) “राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹7055.99 लाख की बचत (₹35734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षयरोग निरोधक औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए बोलियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (vi) “राष्ट्रीय औषध अवव्यसन कार्यक्रम” - ₹125.12 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान केंद्र, बंगलौर में व्यसन केंद्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से औषध अवव्यसन केंद्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (घ) “खाद्य अपमिश्रण रोकथाम - खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण” - ₹1137.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ङ) “औषध नियंत्रण” -
- (i) “केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन” - ₹427.79 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान
- (against the sanctioned provision of ₹52010.00 lakhs) was due to non-procurement of long lasting insecticide nets (LLIN).
- (iii) “Iodine Deficiency Disorders Control Programme” – saving of ₹2363.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4060.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies and receipt of less procurement proposals.
- (iv) “Trachoma and Blindness Control Programme” - saving of ₹2701.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19300.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.
- (v) “National T.B. Control Programme” - saving of ₹7055.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35734.00 lakhs) was due to non- finalisation of bids for procurement of anti TB drugs.
- (vi) “National Drugs De-addiction Programme” - saving of ₹125.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to non- receipt of proposal from Drug Addiction Centre at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore and non-receipt of utilization certificates from Drug De-Addiction Centres in the North Eastern Areas.
- (d) “Prevention of Food Adulteration – Food Safety and Standards Authority of India” - saving of ₹1137.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards creation of assets.
- (e) “Drugs Control” -
- (i) “Central Drugs Standards Control Organisation” - saving of ₹427.79 lakhs

की तुलना में) हुई; और

- (ii) “भारतीय भेषज संग्रही आयोग” - ₹1313.80 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (च) “सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई” - ₹1035.55 लाख की बचत (₹1940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

- (छ) “लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ” -

- (i) “केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” - ₹4141.20 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई;

- (ii) “राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिक संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)” - ₹568.00 लाख की बचत (₹1780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

- (iii) “सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता” - ₹132.10 लाख की बचत (₹526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (ज) “लोक स्वास्थ्य शिक्षा” -

- (i) “अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता” - ₹597.32 लाख की बचत (₹2533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

- (ii) “बाल देखभाल प्रशिक्षण केंद्र, सिंगूर” - ₹231.04 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs); and

- (ii) “Indian Pharmacopoeia Commission” - saving of ₹1313.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous year with the institute.

- (f) “Manufacture of Sera/Vaccine – B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai” - saving of ₹1035.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1940.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of procurement proposals.

- (g) “Public Health Laboratories” –

- (i) “Central Research Institute, Kasauli” – saving of ₹4141.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in finalisation of works.

- (ii) “National Institute of Biological, Noida (U.P.)” – saving of ₹568.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1780.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the Institute.

- (iii) “Institute of Serology, Kolkata” - saving of ₹132.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹526.00 lakhs);

- (h) “Public Health Education” –

- (i) “All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata” - saving of ₹597.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2533.00 lakhs); and

- (ii) “Child Care Training Centre, Singur” - saving of ₹231.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(इ) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -

(i) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “राष्ट्रीय मधुमेह, सीवीडी और हृदयघात कार्यक्रम” - ₹392.89 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी निकायों से वित्तीय सहायता के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) “National Programme for Diabetes, CVD and Stroke” - saving of ₹392.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for financial assistance from grantee bodies.

(ii) “राष्ट्रीय बैक्टेर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹1944.34 लाख की बचत (₹3195.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और विश्व बैंक परियोजना कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(ii) “National Vector Borne Disease Control Programme” - saving of ₹1944.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3195.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and non-completion of World Bank Project work.

(iii) “राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹1665.80 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(iii) “National Programme for Control of Blindness” - saving of ₹1665.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the states.

(ज) “अन्य व्यय” -

(j) “Other Expenditure” -

(i) “स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन” - ₹5848.45 लाख की बचत (₹5850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोबाइल अस्पताल, रसायनिक/जैविक/विकिरण चिकित्सात्मक/नाभिकीय केंद्र और रणनीतिक स्वास्थ्य संचालन केंद्र की परियोजना आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(i) “Health Sector Disaster Preparedness and Management” - saving of ₹5848.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5850.00 lakhs) was due to non-taking off of the project for mobile hospital, Chemical/Biological/Radiological/Nuclear Centre and Strategic Health Operation Centre.

(ii) “लाला रामस्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान” - ₹741.40 लाख की बचत (₹4923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) “Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi” - saving of ₹741.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4923.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards creation of capital assets.

(iii) “तंबाकू मुक्ति पहल” - ₹1266.43 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तंबाकू विरोधी अभियान और उपस्करों की अधिप्राप्ति

(iii) “Tobacco Free Initiatives” - saving of ₹1266.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to

के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iv) “हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति” - ₹164.35 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज यात्रियों की कम संख्या और राज्यों के पास पिछले वर्षों की अप्रयुक्त वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होने की वजह से वैक्सीन अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(v) “अभिघात केन्द्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता” - ₹1866.09 लाख की बचत (₹9832.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(vi) “एकीकृत रोग निगरानी परियोजना” - ₹2723.95 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और अधिप्राप्ति संबंधी कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(vii) “स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन” - ₹9010.85 लाख की बचत (₹26300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू स्कीमों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(घा) “सामान्य - स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढीकरण” - ₹138.99 लाख की बचत (₹235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किए जाने और पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2211” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निदेशन और प्रशासन” -

requirement of less funds towards Anti-Tobacco campaign and procurement of equipments.

(iv) “Procurement of Meningitis Vaccine for Inoculation of Haj Pilgrims” - saving of ₹164.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of vaccine owing to less number of Haj Pilgrims and also availability of unused stock of Vaccines with the States provided during previous years.

(v) “Assistance for Capacity Building for Trauma Centres” - saving of ₹1866.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9832.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for providing financial assistance from implementing agencies.

(vi) “Integrated Disease Surveillance Project” - saving of ₹2723.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agency and non-finalisation of some of the procurement proposals.

(vii) “Human Resources for Health” - saving of ₹9010.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26300.00 lakhs) was due to slow progress in the implementation of ongoing schemes.

(D) “General – Health Statistics and Evaluation - Strengthening of Health Information and Monitoring Systems” – saving of ₹138.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹235.00 lakhs) was due to holding of less number of meetings and conferences and non-receipt of adequate proposals.

(III) Under Major Head “2211” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” –

- (क) “मुख्यालय में तकनीकी स्कंध” - ₹123.99 लाख की बचत (₹1384.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और पेशवरों को बाह्य स्रोतों से लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ख) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - ₹233.89 लाख की बचत (₹848.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।
- (ग) “क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय” - ₹726.60 लाख की बचत (₹2857.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और दौरो एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (खा) “प्रशिक्षण” -
- (क) “राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली” - ₹519.28 लाख की बचत (अगस्त, 2011 और नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹4.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3964.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ख) “अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई” - ₹2310.09 लाख की बचत (₹3650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से प्रशिक्षण/संगोष्ठी कक्ष/कक्षा/समिति कक्ष के निर्माण कार्यों का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई” - ₹162.24 लाख की बचत (₹403.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “अनुसंधान और मूल्यांकन” -
- (क) “केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ” - ₹304.00 लाख की बचत (₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (a) Technical Wing at Headquarters” – saving of ₹123.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1384.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards outsourcing of professionals.
- (b) “Expenditure in Union Territories without Legislature” – saving of ₹233.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹848.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (c) “Regional Health Offices” – saving of ₹726.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2857.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards tours and other establishment related expenses.
- (B) “Training” –
- (a) “National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi” - saving of ₹519.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3964.00 lakhs including token supplementary grant of ₹4.00 lakhs obtained in August, 2011 and November, 2011) was due to availability of unspent balances with the States.
- (b) “International Institute for Population Sciences, Mumbai” - saving of ₹2310.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3650.00 lakhs) was due to non-execution of construction works of Training/Seminar Hall/Class Room/Committee Room owing to procedural delay.
- (c) “Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai” - saving of ₹162.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹403.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (C) “Research and Evaluation” -
- (a) “Central Drugs Research Institute, Lucknow” - saving of ₹304.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs); and

(ख) “जनसांख्यिकी और अन्य संचार अनुसंधान” - ₹633.31 लाख की बचत (₹1782.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(घा) “ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - ₹131.05 लाख की बचत (₹936.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ड) “जन शिक्षा” -

(क) “पीएनडीटी अधिनियम पर सूचना, शिक्षा और संचार” - ₹373.83 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और बैठक और सम्मेलनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) “सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मिडिया इकाइयों के माध्यम से व्यय” - ₹112.93 लाख की बचत (₹3193.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनशक्ति को बाह्य स्रोतों से लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(चा) “प्रजनन और लोक स्वास्थ्य” -

(क) “आरसीएच में प्रशिक्षण” - ₹103.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “आरसीएच में अनुसंधान और अध्ययन क्रियाकलाप” - ₹160.23 लाख की बचत (₹165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में औषधियों और उपकरणों (वैक्सिन आदि की छोड़कर) की आपूर्ति पर व्यय” - ₹148.70 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य किटों की

(b) “Demographic and Other Communication Research” - saving of ₹633.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1782.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with the implementing agency.

(D) “Rural Family Welfare Services - Expenditure in Union Territories without legislature” – saving of ₹131.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹936.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(E) “Mass Education” –

(a) “Information, Education and Communication on PNDT Act” - saving of ₹373.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the States and requirement of less funds towards meetings and conferences.

(b) “Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting” - saving of ₹112.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3193.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards outsourcing of manpower.

(F) “Reproductive and Child Health” -

(a) “Training in RCH” - saving of ₹103.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(b) “Research and Study activities in RCH” - saving of ₹160.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹165.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(c) “Expenditure on Supplies of Drugs and Equipments (Other than Vaccines etc.) in Union Territories without Legislature” - saving of ₹148.70 lakhs (against the sanctioned

अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

provision of ₹150.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for procurement of Reproductive and Child Health kits.

- (घ) “औषधियों और उपस्करों की अधिप्राप्ति (वैक्सीनों आदि को छोड़कर)” - ₹22846.59 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषधियों और उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और सैनिटरी नैपकिन्स की अधिप्राप्ति का मूर्त रूप न लेने और अधिप्राप्ति सहायक एजेंसी द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य औषधियों और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण भी हुई।
- (d) “Procurement of Drugs and Equipments (Other than Vaccines etc.)” - saving of ₹22846.59 lakhs (against the sanctioned provision ₹25000.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme for procurement of drugs and equipments and non-materialisation of procurement of sanitary napkins and also lesser procurement of Reproductive and Child Health drugs and equipments by the Procurement Support Agency (RITES).
- (ङ) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹10357.16 लाख की बचत (₹50599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति एजेंसियों के साथ बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।
- (e) “Routine Immunisation Programme” - saving of ₹10357.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50599.00 lakhs) was due to non-settlement of bills with the procurement agencies.
- (च) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹4645.99 लाख की बचत (₹70396.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस/उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कम संख्या में होने की वजह से पल्स पोलियो टीकाकरण की प्रचालन लागत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (f) “Pulse Polio Immunisation Programme” - saving of ₹4645.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70396.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards operating cost of Pulse Polio Programme on account of lesser number of National Immunization Days/Sub-National Immunization Days.
- (छ) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र में वैक्सीन आदि की आपूर्ति पर व्यय” - ₹412.32 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से कोल्ड चेन उपस्करों की आपूर्ति न होने के कारण हुई।
- (g) “Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without Legislature” - saving of ₹412.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-supply of cold chain equipments owing to delay in finalisation of procurement process.
- (छा) “अन्य सेवाएं और पूर्तियां” -
- (G) “Other Services and Supplies” -
- (क) “बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - ₹117.01 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (a) “Free Supply of FP Material in UTs without Legislature” - saving of ₹117.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs); and
- (ख) “परिवार कल्याण सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - ₹2920.35 लाख की बचत (₹15026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “Free Supply of FP Material” - saving of ₹2920.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15026.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्यों से कम मांग होने और गर्भनिरोधकों की दर में अधोमुखी पुनरीक्षण किए जाने के कारण हुई।

(जा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹127.63 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(झा) “जनजाति क्षेत्र उपयोजना - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹141.32 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस/ उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कम संख्या में होने की वजह से पल्स पोलियो कार्यक्रम की प्रचालन लागत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ज) “अन्य व्यय” -

(क) “राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय” - ₹1206.31 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2009 और 2010 की समाप्त हुई पालिसियों के अंतर्गत बीमाकर्ता की देयता से अधिक दावों के संबंध में बीमाकर्ता को प्रशासनिक प्रभारों को रोक दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” - ₹293.78 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “प्रबंधन सूचना प्रणाली” - ₹3963.75 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आयोजन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(घ) “मिशन फ्लेक्सिबल पूल” - ₹47409.91 लाख की बचत (₹286350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less demand from the States and downward revision of rate of contraceptives.

(H) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pulse Polio Immunisation Programme” - saving of ₹127.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs); and

(I) “Tribal Area Sub Plan - Pulse Polio Immunisation Programme” - saving of ₹141.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards operating cost of Pulse Polio Programme owing to less number of National Immunization Days/Sub National Immunization Days.

(J) “Other Expenditure” -

(a) “Measures under National Population Policy” - saving of ₹1206.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to withholding of administrative charges to the insurer in respect of claims in excess of insurer liability under expired policies for 2009 and 2010.

(b) “National Commission on Population” - saving of ₹293.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and requirement of less funds towards advertisement and publicity.

(c) “Management Information System” - saving of ₹3963.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to slow progress in conducting of Annual Health Survey.

(d) “Mission Flexible Pool” - saving of ₹47409.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹286350.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹108.18 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(क) “परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार कल्याण सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - ₹4718.50 लाख की बचत (₹13700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अप्रयुक्त परिवार नियोजन सामग्रियों (गर्भनिरोधक इत्यादि) उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) “परिवार कल्याण - प्रजनक और बाल स्वास्थ्य” -

(i) “आरसीएच औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति” - ₹15705.95 लाख की बचत (₹16050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और अधिप्राप्ति सहायता एजेंसी द्वारा आरसीएच औषधियों और उपस्कर की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(ii) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹11657.46 लाख की बचत (₹35600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - परिवार कल्याण - प्रजनक और बाल स्वास्थ्य” - ₹3788.10 लाख की बचत (₹18030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - परिवार कल्याण - प्रजनक और बाल स्वास्थ्य” - ₹2389.96 लाख की बचत (₹9740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes - Public Health - Prevention and Control of Diseases - National IDD Control Programme” - saving of ₹108.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the States.

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Family Welfare - Other Services and Supplies - Free Supply of FP Material” - saving of ₹4718.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13700.00 lakhs) was due to availability of unutilised family planning materials (Contraceptives etc.) with the States.

(b) “Family Welfare – Reproductive and Child Health”-

(i) “Supply of RCH Drugs and Equipments”- saving of ₹15705.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16050.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies and less procurement of Reproductive and Child Health drugs and equipment by Procurement Support Agency (RITES).

(ii) “Routine Immunisation Programme” - saving of ₹11657.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35600.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes – FW - Reproductive and Child Health”- saving of ₹3788.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18030.00 lakhs); and

(d) “Tribal Area Sub Plan - FW - Reproductive and Child Health” - saving of ₹2389.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9740.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत औषधियों और उपस्करों की कम खरीद किए जाने, पेंटावैलेंट वैक्सीन शुरू किए जाने में विलंब होने और कार्यान्वयन एजेंसी के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं” -

(क) “शहरी परिवार कल्याण केन्द्र” - ₹268.22 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का नवीकरण” - ₹134.11 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - ₹314.88 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केन्द्र” - ₹105.70 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(घा) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य” -

(क) “आरसीएच औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति” - ₹449.88 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹2134.42 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम समायोजन लागत होने, औषधियों और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने, पेंटावैलेंट

Savings under the above two heads were due to less procurement of Drugs and Equipments, delay in introduction of Pentavalent Vaccine and availability of unspent balances with the implementing agency.

(V) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Family Welfare - Urban Family Welfare Services” -

(a) “Urban FW Centres” - saving of ₹268.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs);

(b) “Revamping of Urban F.W. Centres” - saving of ₹134.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs);

(B) “Family Welfare - Direction and Administration - Maintenance of State/Distt. FW Bureaux” - saving of ₹314.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs); and

(C) “Family Welfare - Rural Family Welfare Services - Sub Centres” - saving of ₹105.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balances with the Union Territory Governments.

(D) “Family Welfare – Reproductive and Child Health” –

(a) “Supply of RCH Drugs and Equipments”- saving of ₹449.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs); and

(b) “Routine Immunisation Programme” - saving of ₹2134.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to lesser cost adjustments, less procurement of drugs

वैक्सीन को शुरू किए जाने में विलंब होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VI) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹760.11 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹177168.36 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मार्गों के अनुबंध द्वारा ₹10.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2071” - “सिविल - सीजीएचएस पेंशनरों का चिकित्सीय उपचार - केन्द्रीय सरकार पेंशनर” - ₹24140.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹23393.16 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2210” -

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी” -

(i) “केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/ अस्पतालों की स्थापना करना” - ₹10009.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7320.82 लाख था।

(ii) “अस्पताल और औषधालय” -

(1) “सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹5869.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5654.12 लाख था।

(2) “डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹1731.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1262.86 लाख था।

(iii) “अन्य व्यय - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर खर्च किया जाने वाला व्यय” - ₹14400.00 लाख। अधिक व्यय, तथापि, ₹14399.00 लाख था।

and equipments, delay in introducing Pentavalent Vaccine and availability of unspent balances with the implementing agency.

(VI) Under nine heads savings of ₹760.11 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹177168.36 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹10.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2071”- “Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Government Pensioners” – ₹24140.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23393.16 lakhs.

(B) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services – Allopathy” –

(i) “Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/ Hospitals” – ₹10009.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹7320.82 lakhs.

(ii) “Hospitals and Dispensaries” –

(1) “Safdarjung Hospital, New Delhi” – ₹5869.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5654.12 lakhs.

(2) “Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” – ₹1731.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹1262.86 lakhs.

(iii) “Other Expenditure - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee”- ₹14400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14399.00 lakhs.

- (ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” - (b) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” –
- (i) “बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान” - ₹140.00 लाख। (i) “Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi” – ₹140.00 lakhs.
- (ii) “लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹1525.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹895.43 लाख था। (ii) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi” – ₹1525.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹895.43 lakhs.
- (iii) “अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली” - ₹4000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3997.00 लाख था। (iii) “All India Institute of Medical Sciences, New Delhi” - ₹4000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3997.00 lakhs.
- (iv) “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान” - ₹700.00 लाख। (iv) “Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore” – ₹700.00 lakhs.
- (v) “इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को सहायता” - ₹6500.00 लाख। (v) “Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong” – ₹6500.00 lakhs.
- (vi) “क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल” - ₹17796.00 लाख। (vi) “Regional Institute of Medical Sciences, Imphal” – ₹17796.00 lakhs.
- (vii) “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर” - ₹1952.00 लाख। (vii) “Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur” – ₹1952.00 lakhs.
- (गा) मुख्य शीर्ष “2211” - “चुनिंदा क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - अमेरिकी सहायता प्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उ.प्र. लखनऊ” - ₹1190.00 लाख। (C) Major Head “2211” - “Selected Area Programmes (Including India Population Project) – USAID assisted Project - SIFPSA,U.P., Lucknow”- ₹1190.00 lakhs.
- (घा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” - (D) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-
- (क) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केंद्र” - ₹76358.40 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹76358.26 लाख था। (a) “Family Welfare - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres” - ₹76358.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹76358.26 lakhs.
- (ख) “परिवार कल्याण - प्रजनक और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - ₹6754.40 लाख। (b) “Family Welfare - Reproductive and Child Health - Pulse Polio Immunisation Programme” - ₹6754.40 lakhs .

- (ग) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” -
- (i) “राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)” - ₹1206.76 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1205.99 लाख था।
- (ii) “काला - अजार नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2896.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2898.74 लाख था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2210” -
- (क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची” - ₹284.82 लाख का अधिक व्यय (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता, बोनस और दवाइयों और अन्य जीवन रक्षक औषधियों की दरों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ख) “लोक स्वास्थ्य” -
- (i) “रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” -
- (1) “राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹122.67 लाख का अधिक व्यय (₹2568.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (2) “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” - ₹349.54 लाख का अधिक व्यय (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -
- (1) “राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹165.58 लाख का अधिक व्यय (₹1739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (c) “Public Health - Prevention and Control of Diseases” -
- (i) “National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)” - ₹1206.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹1205.99 lakhs.
- (ii) “Kala-Azar Control Programme” - ₹2896.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2898.74 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2210” -
- (a) “Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Central Institute of Psychiatry, Ranchi” - excess of ₹284.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance, bonus and hike in the rates of medicines and other life saving drugs.
- (b) “Public Health” -
- (i) “Prevention and Control of Diseases” -
- (1) “National Leprosy Control Programme” - excess of ₹122.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2568.00 lakhs);
- (2) “National Mental Health Programme” - excess of ₹349.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs);
- (ii) “Tribal Area Sub Plan” -
- (1) “National Vector Borne Disease Control Programme” - excess of ₹165.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1739.00 lakhs);

- (2) “राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹417.60 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

- (2) “National Programme for Control of Blindness” – excess of ₹417.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(iii) “अन्य व्यय” -

(iii) “Other Expenditure” -

- (1) “केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल” - ₹4299.54 लाख का अधिक व्यय (₹24145.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

- (1) “New Initiatives under Central Schemes” - excess of ₹4299.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24145.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (2) “राष्ट्रीय आरोग्य निधि” - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल में भर्ती होने पर गरीब मरीजों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

- (2) “Rashtriya Arogya Nidhi” – excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in number of requests from poor patients for financial assistance on hospitalization.

(खा) मुख्य शीर्ष “2211” -

(B) Major Head “2211” -

(क) “जन शिक्षा” -

(a) “Mass Education” -

- (i) “मुख्यालय में कार्य कलाप” - ₹387.43 लाख का अधिक व्यय (₹2249.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेल के बाहरी हिस्से और कम्प्यूटरिकृत रेल टिकटों पर विज्ञापन के द्वारा मीडिया अभियानों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

- (i) “Activities at Headquarters”- excess of ₹387.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2249.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards media campaign through advertisement on exterior of trains and computerized railway tickets.

- (ii) “सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना” - ₹1577.73 लाख का अधिक व्यय (₹6569.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (ii) “Information, Education and Communication - RCH Project” – excess of ₹1577.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6569.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (ख) “प्रजनक और बाल स्वास्थ्य” -
- (i) “मुख्यालय पर व्यय” - ₹145.80 लाख का अधिक व्यय (₹522.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी मदों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (ii) “राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल” - ₹40083.97 लाख का अधिक व्यय (₹218800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के कारण हुआ।
- (ग) “अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन” - ₹4531.50 लाख का अधिक व्यय (₹15555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गर्भ निरोधकों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” -
- (क) “योजनेतर अनुदान - सामान्य (चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य) - अन्य अनुदान - गरीब लोगों के अस्पताल में भर्ती होने पर व्यय के लिए सहायता” - ₹149.53 लाख का अधिक व्यय (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से परिक्रामी निधियों के प्रस्तावों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ख) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-
- (i) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र” - ₹358.54 लाख का अधिक व्यय (₹7124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “परिवार कल्याण - प्रशिक्षण” -
- (1) “एएनएम/एलएचवी को प्रशिक्षण” - ₹1091.39 लाख का अधिक व्यय (₹8878.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (b) “Reproductive and Child Health”-
- (i) “Expenditure at Headquarters” - excess of ₹145.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹522.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment related items.
- (ii) “RCH Flexible Pool for State PIPs”- excess of ₹40083.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹218800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet the additional demand from the State Governments.
- (c) “Other Services and Supplies - Social Marketing of Contraceptives” - excess of ₹4531.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15555.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of contraceptives.
- (C) Major Head “3601” -
- (a) “Non Plan Grants - General (Medical and Public Health) - Other Grants - Assistance towards expenditure on Hospitalisation of the Poor” - excess of ₹149.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to increase in number of proposals for revolving funds from States.
- (b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -
- (i) “Family Welfare - Urban Family Welfare Services - Urban FW Centres” - excess of ₹358.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7124.00 lakhs);
- (ii) “Family Welfare - Training” -
- (1) “Training of ANM/LHVs” - excess of ₹1091.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8878.00 lakhs);

- (2) “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र” - ₹249.32 लाख का अधिक व्यय (₹2095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (iii) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - ₹2621.82 लाख का अधिक व्यय (₹26402.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (iv) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ईएसी)” - ₹1706.00 लाख का अधिक व्यय (₹5434.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (v) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (1) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन” - ₹836.24 लाख का अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं” - ₹969.49 लाख का अधिक व्यय (₹58600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (3) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं” - ₹150.79 लाख का अधिक व्यय (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (4) “पीएच - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण” - ₹916.73 लाख का अधिक व्यय (₹5536.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (vi) “जनजाति क्षेत्र उप योजना” -
- (1) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन” - ₹1524.60 लाख का अधिक व्यय (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) “Health and FW Training Centre” - excess of ₹249.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2095.00 lakhs);
- (iii) “Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/ Distt FW Bureaux” – excess of ₹2621.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26402.00 lakhs);
- (iv) “Public Health - Prevention and Control of Diseases - National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (EAC)” - excess of ₹1706.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5434.00 lakhs);
- (v) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (1) “FW - Direction and Administration” - excess of ₹836.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs);
- (2) “FW - Rural Family Welfare Services” - excess of ₹969.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58600.00 lakhs);
- (3) “FW - Urban Family Welfare Services” - excess of ₹150.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs);
- (4) “PH - Prevention and Control of Diseases” - excess of ₹916.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5536.00 lakhs);
- (vi) “Tribal Area Sub Plan”-
- (1) “FW - Direction and Administration” - excess of ₹1524.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs);

- (2) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं” - ₹5160.19 लाख का अधिक व्यय (₹28000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (3) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं” - ₹151.50 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (4) “पीएच - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” - ₹3272.36 लाख का अधिक व्यय (₹3010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्यों से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “3606” -

- (क) “युनिसेफ से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता” - ₹305.33 लाख का अधिक व्यय (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता विभाग से पोलियो उन्मूलन के लिए औषधियों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. से सहायता” - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सहायता” - ₹502.54 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता विभाग से क्षयरोग निरोधी औषधियों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

- (2) “FW - Rural Family Welfare Services” - excess of ₹5160.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.00 lakhs); and
- (3) “FW - Urban Family Welfare Services” - excess of ₹151.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs).

Excess under the above twelve heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

- (4) “PH - Prevention and Control of Diseases” - excess of ₹3272.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3010.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from the states.

(D) Major Head “3606”-

- (a) “Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication” - excess of ₹305.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to additional procurement of Drugs for Polio Eradication with Department for International Development Assistance.
- (b) “Assistance from Deptt for International Development (DFID) UK - Material Assistance for National T.B. Control Programme” - excess of ₹502.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to additional procurement of anti TB drugs with Department for International Development Assistance.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹160.28 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹160.28 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent and 41 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"			
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	190133.00		
पू.	S.	3.00	117974.50	104465.92
पु.	R.	-72161.50		-13508.58
मुख्य शीर्ष "4211"	Major Head "4211"			
परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Family Welfare			
मू.	O.	351.00		
पु.	R.	-141.00	210.00	119.30
				-90.70
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	8424.00		
पू.	S.	2.00	4207.00	2711.70
पु.	R.	-4219.00		-1495.30

(I) ₹9238.00 लाख का प्रावधान (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹9000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹9238.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011) remained wholly unutilised under sixteen heads; of these ₹9000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

- | | |
|---|--|
| (का) मुख्य शीर्ष “4210” - “लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम” - | (A) Major Head “4210” – “Public Health – Other Programmes” - |
| (क) “पराचिकित्सा संस्थान का सुदृढ़ीकरण/सृजन” - ₹7300.00 लाख; | (a) “Strengthening/Creation of Paramedical Institute” – ₹7300.00 lakhs; |
| (ख) “राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम” - ₹500.00 लाख; और | (b) “National Organ Transplant Programme” - ₹500.00 lakhs; and |
| (खा) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन - पराचिकित्सा संस्थान का सुदृढ़ीकरण/सृजन” - ₹1200.00 लाख। | (B) Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Strengthening/Creation of Paramedical Inst.” - ₹1200.00 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत निधीयन रीति में बदलाव किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to change in funding pattern.

(II) मुख्य शीर्ष “4210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head “4210” – savings occurred under the following heads: -

- | | |
|---|---|
| (का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं” - | (A) “Urban Health Services” – |
| (क) “केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना” - ₹975.63 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; | (a) “Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals” - saving of ₹975.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); |
| (ख) “अस्पताल और औषधालय” - | (b) “Hospitals and Dispensaries” – |
| (i) “सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹880.96 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और | (i) “Safdarjung Hospital, New Delhi” – saving of ₹880.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and |
| (ii) “अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई” - ₹349.67 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई। | (ii) “All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai”- saving of ₹349.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs). |

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to slow progress in works executed by Central Public Works Department.

- | | |
|---|--|
| (iii) “डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹3506.73 लाख की बचत (₹5975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने और उपस्करों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति होने के कारण हुई; | (iii) “Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” – saving of ₹3506.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5975.00 lakhs) was due to slow progress of work and slow pace in procurement of equipments. |
|---|--|

- (iv) “केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची” - ₹1680.27 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओ.पी.डी. और परिवार वार्ड के निर्माण की धीमी प्रगति होने की वजह से मुख्य निर्माण कार्यों का पूरा न होने के कारण हुई; और
- (iv) “Central Institute of Psychiatry Ranchi”- saving of ₹1680.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs) was due to non-completion of major works owing to slow progress in construction of OPD and Family Ward.
- (खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” -
- (B) “Medical Education, Training and Research – Allopathy” –
- (क) “लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल” - ₹2081.62 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत कार्य और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए अपर्याप्त बोलियां प्राप्त होने की वजह से उपस्करों और वाहनों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (a) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K.Hospital” – saving of ₹2081.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to slow pace of capital works and procurement of equipments and vehicles owing to receipt of insufficient number of bids for procurement of equipments.
- (ख) “एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन” - ₹69585.67 लाख की बचत (₹150880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत कार्यों और चरण-I के अंतर्गत उन्नत किए जा रहे श्रीनगर चिकित्सा कालेज के संबंध में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रगति प्राप्त न किए जाने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (b) “Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals” - saving of ₹69585.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150880.00 lakhs) was due to slow pace of capital works and procurement of equipments owing to non-achievement of targeted progress by Central Public Works Department in respect of Srinagar Medical College being upgraded under phase-I.
- (गा) “लोक स्वास्थ्य” -
- (C) “Public Health” -
- (क) “लोक स्वास्थ्य शिक्षा - एआईआईएच और पीएच, कोलकाता” - ₹493.36 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साल्ट लेक में दूसरे परिसर के लिए प्रयोगशाला उपस्करों और फर्नीचर की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Public Health Education - AIIH and PH, Kolkata” - saving of ₹493.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to less procurement of laboratories equipments and furniture for second campus at Salt Lake.
- (ख) “अन्य कार्यक्रम - केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” - ₹2772.33 लाख की बचत (₹4700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत कार्यों और उपस्करों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (b) “Other Programmes - Central Research Institute, Kasauli” - saving of ₹2772.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00 lakhs) was due to slow pace of capital works and procurement of equipments.

(III) मुख्य शीर्ष “4211” - “अन्य व्यय - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई” के अंतर्गत ₹229.70 लाख की बचत (₹349.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल” - ₹488.07 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(खा) “एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन” - ₹2996.25 लाख की बचत (₹5183.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदाकारों द्वारा दावे/बिल प्रस्तुत न किए जाने की वजह से स्कीमों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई;

(गा) “सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹1134.04 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारका में नर्सों के हॉस्टल के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹138.31 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 61 प्रतिशत और 77 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4615.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष “4210” -

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर खर्च किया जाने वाला व्यय” - ₹3180.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3179.00 लाख था।

(III) Under Major Head “4211” - “Other Expenditure - Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai” - saving of ₹229.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹349.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital” - saving of ₹488.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress in capital works.

(B) “Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals” - saving of ₹2996.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5183.00 lakhs) was due to slow progress of implementation of the schemes owing to non-submission of claims/bills by the contractors.

(C) “Safdarjung Hospital, New Delhi” - saving of ₹1134.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to slow progress in construction of Nurses Hostel at Dwarka.

(V) Under two heads savings of ₹138.31 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 61 percent and 77 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹4615.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(I) Major Head “4210”-

(A) “Urban Health Services - Other Expenditure - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee” - ₹3180.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3179.00 lakhs.

(खा) “लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम - बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई” - ₹1435.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1434.00 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर खर्च किया जाने वाला व्यय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹319.00 लाख का अधिक व्यय (नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹51.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा लागू करने के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) “Public Health - Other Programmes - B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai” - ₹1435.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1434.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee” - excess of ₹319.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹51.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2011) was due to requirement of additional funds towards capital works to implement 27 percent reservation quota for Other Backward Classes.